

आदेश की क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
के बारे में टिप्पणी
सहित

रैयत द्वारा इस प्रविष्टि के साक्ष्य के रूप में कागजात उपस्थापित नहीं किया जा सका। -

उपर्युक्त परिस्थिति में विभिन्न राजस्व विभागीय परिपत्रों के आलोक में यह संदिग्ध जमाबंदी का मामला प्रतीत होता है।

अतः संबंधित रैयत को दिनांक 5/7/2016 को 11:00 बज पूर्वाह्न सभी कागजात अचूक रूप से प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें अन्यथा बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

अंचल अधिकारी
कुरुडंग (सिमडेगा)

01/07/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।
नोटिस का तामिला प्रसिद्धन प्राप्त है। संबंधित
रैयत संबंधित भूमि का सख्ती कागजात के
साथ अनुपस्थित है। पुनः दिनांक 17/07/2020
के लिए नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 17/07/2020 को
उपस्थित करें।

अंचल अधिकारी,
कुरुडंग।

17/07/20 अभिलेख उपस्थापित।

27/07/20 ओकेफु पिपुबु डराँव, जिला-लोहा डराँव, जिला-
लिट्टीगार का लखलखन किया। संबंधित RSI एवं
सचल कि. डी जेय प्रसिद्धन के आधार पर 23 रु
भूमि जंगल कायु है जिसे नियमित करवा नही
किया जा सकता है।

अंचल अधिकारी
कुरुडंग।